

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी  
(आई0एस0ओ0 9001:2015 प्रमाणित संस्थान)

USE FOR PRIVATE STUDENT'S ONLY

विषय: सीनियर सैकेण्डरी पूरक परीक्षा जुलाई- 2024 के लिए ऑनलाईन आवेदन के दौरान बोर्ड कार्यालय में प्राप्त डबल फीस रिफण्ड करने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में निर्देशित किया जाता है कि सीनियर सैकेण्डरी पूरक परीक्षा जुलाई-2024 हेतु जिस परीक्षार्थी का ऑन-लाईन आवेदन में तकनीकी कारणों से एक ही परीक्षा हेतु दो बार शुल्क समायोजन हो जाता है तो, ऐसे परीक्षार्थी की डबल फीस रिफण्ड हेतु प्रार्थना-पत्र ऑन-लाईन आवेदन की अन्तिम तिथि समाप्त होने के बाद डबल फीस (EXCESS FEE) जमा होने के साक्ष्यों (Beneficiary Name, Account No., IFSC Code, Branch आदि दर्शाते हुए) सहित दो मास (60 दिन) के समयबद्ध समय तक ही सीनियर सैकेण्डरी की ई-मेल आई.डी. assrs@bseh.org.in पर या दस्ती कार्यालय में भेज सकते हैं। इसके उपरान्त डबल फीस (EXCESS FEE) रिफण्ड करने हेतु दिए गए किसी भी प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

डबल फीस (EXCESS FEE) रिफण्ड हेतु भेजी जाने वाली सूचना का फॉर्मेट निम्न प्रकार है:-

परीक्षार्थी / Beneficiary का नाम ..... पिता का नाम .....

मेल आई0 डी0 ..... मोबाईल नं0 .....

REFUNDABLE AMOUNT ..... परीक्षार्थी / Beneficiary का बैंक खाता संख्या .....

बैंक व शाखा का नाम .....IFSC CODE .....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर दिए गए विवरण सही हैं यदि कोई विवरण गलत होगा तो मैं स्वयं जिम्मेवार हूंगा।

तिथि .....

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर .....

परीक्षार्थी का नाम .....

पता .....

.....

# हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

## (आई0एस0ओ0 9001:2015 प्रमाणित संस्थान)

विषय: सैकेण्डरी/सैकेण्डरी-कम-पूर्व मध्यमा द्वितीय वार्षिक परीक्षा जून/जुलाई-2024 के लिए ऑनलाईन आवेदन के दौरान बोर्ड कार्यालय में प्राप्त डबल फीस रिफण्ड करने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में निर्देशित किया जाता है कि सैकेण्डरी/सैकेण्डरी-कम-पूर्व मध्यमा द्वितीय वार्षिक परीक्षा जून/जुलाई-2024 हेतु जिस परीक्षार्थी का ऑन-लाईन आवेदन में तकनीकी कारणों से एक ही परीक्षा हेतु दो बार शुल्क समायोजन हो जाता है तो, ऐसे परीक्षार्थी की डबल फीस रिफण्ड हेतु प्रार्थना-पत्र ऑन-लाईन आवेदन की अन्तिम तिथि समाप्त होने के बाद डबल फीस (EXCESS FEE) जमा होने के साक्ष्यों (Beneficiary Name, Account No., IFSC Code, Branch आदि दर्शाते हुए) सहित दो मास (60 दिन) के समयबद्ध समय तक ही सैकेण्डरी की assec@bseh.org.in ई-मेल आई0डी0 पर या दस्ती कार्यालय में भेज सकते हैं। इसके उपरान्त डबल फीस (EXCESS FEE) रिफण्ड करने हेतु दिए गए किसी भी प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

डबल फीस (EXCESS FEE) रिफण्ड हेतु भेजी जाने वाली सूचना का फॉर्मेट निम्न प्रकार है:-

परीक्षार्थी/Beneficiary का नाम ..... पिता का नाम .....

मेल आई0 डी0 ..... मोबाईल नं0 .....

REFUNDABLE AMOUNT .....परीक्षार्थी/Beneficiary का बैंक खाता संख्या .....

बैंक व शाखा का नाम .....IFSC CODE .....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर दिए गए विवरण सही हैं यदि कोई विवरण गलत होगा तो मैं स्वयं जिम्मेवार हूंगा।

तिथि .....

हस्ताक्षर .....

परीक्षार्थी/विद्यालय का नाम .....

पता .....

.....